

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) पदस्थापन/अलेसे- ॥/834

दिनांक:- 23-09-2022

आदेश

विभागीय पदोन्नति आदेश संख्या 70/2022-23, 71/2022-23, 72/2022-23 एवं 73/2022-23 दिनांक 07.09.2022 में वर्णित स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों के प्रकरण में वर्तमान पद का तात्पर्य "नवीन पदस्थापन पद" माने जाने की शर्त अंकित की गई थी। कतिपय प्रकरणों में यह दृष्टिगत हुआ है कि स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कार्मिकों को पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने से उन्हें पदोन्नति का वास्तविक परिलाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः उक्त आदेशों में वर्णित स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों के प्रकरण में वर्तमान पद का तात्पर्य "नवीन पदस्थापन पद" माने जाने की शर्त में अग्रिम आदेशों तक शिथिलन प्रदान किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) पदस्थापन/अलेसे- ॥/834

दिनांक:- 23-09-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
- 2 समस्त कार्मिक
- 3 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 5 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)